




किन्तु अधिवक्ता अपीलार्थ द्वारा जमखुसूरत भेकनेरु  
अवसर उदान भिये जाने के वाकजूद न्यायालय आदेशो  
की तर्कील नही की गयी / अतः अधिवक्ता अपीलार्थ  
द्वारा न्यायालय आदेशो की अवहेलना किये से उक्त  
अपील को अदम तर्कील में खारिज की जाती है।  
पत्रावली लेखण शुमार होकर बाद आवश्यक  
कामेवाही दायिज दफतर है।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
पली